O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 4160
Date 21 SEP 2023
AGM (H)
SE (O)/SE ...web
EE ....
Section.......

CSPTCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एनः– U40108CT2003SGC015820

कार्या :– कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01 / अ.प्र.क. / 17 / 2023 / 4784 रायपुर, दिनांक 15 SEP 2023

(अपील प्रकरण कमांक 17 / 2023)

श्री कृपाराम सक्सेना अपीलार्थी
चांपा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक ....15/09/2023........को पारित)

अपीलार्थी श्री कृपाराम सक्सेना, चांपा ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)– दो, के निर्णय दिनांक 01.08.2023 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी ।	श्री कृपाराम सक्सेना द्वारा आवेदन कमांक पी / 293 दिनांक 01.07.2023 के माध्यम से 02 बिन्दुओं में निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :– (1) उस दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति दिलाएँ जिसमें जनवरी 2021 से जून 2023 तक की अवधि में BOD में उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी की जानकारी लेख है। (2) उस दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति दिलाएँ जिसमें जनवरी 2021 से जून 2023 तक BOD के बैठक (मिटिंग) में लिए गए निर्णयों की जानकारी लिखा है।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	मूल आवेदन में चाही गई जानकारी कंपनी व कर्मचारी हित से संबंधित है। उक्त जानकारी से कंपनी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायी जा सकती है। BOD में कानून के अधीन नियमों के अंतर्गत निर्णय लिये जाते है अतः चाही गई जानकारी कंपनी को क्षति / हानि नहीं पहुँचा सकती है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		13.09.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में गुणदोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क / कथन :–		अपीलार्थी द्वारा जनवरी 2021 से जून 2023 तक की अवधि में BOD बैठक (मिटिंग) से संबंधित जानकारी / दस्तावेज चाही गई है। धारा 5(5) के तदनुसार अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(डी) के प्रावधानों और प्रकरण के साथ पठित एम.सी.रत्नकर वि. केनरा बैंक 1525 / आईसीपीबी / 2008 दिनांक 19.02.2008 के

			अनुसार निदेशक मंडल के बैठक की समस्त जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नहीं की जा सकती है तथा उसकी छायाप्रति दी जाने योग्य नहीं है। यहॉ उल्लेखनीय है कि कंपनी के निर्देशक मंडल की बैठक आयोजित की गई, बैठक की समस्त जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नहीं की जा सकती है। यह तृतीय पक्ष संबंधी जानकारी होने से अधिनियम के प्रावधान लागू होते है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा **BOD** (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) बैठक (मिटिंग) में लिये गये निर्णयों एवं मिटिंग में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जो जानकारी/सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है वह नियम के अनुरूप है।

पॉवर कंपनीज के **BOD** (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) के बैठक (मिटिंग) में अनेक विषयातंर्गत मुद्दो पर चर्चा उपरांत निर्णय लिये जाते हैं। उक्त निर्णय संबंधी दस्तावेज गोपनीय प्रकृति के होते है। जिसे गोपनीयता के दृष्टिगत प्रकट किया जाना उचित नहीं है। जनसूचना अधिकारी के तर्कनुसार की कंपनी के निर्देशक मंडल की बैठक आयोजित की गई, बैठक की समस्त जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नहीं की जा सकती है। यह तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी/दस्तावेज होने से अधिनियम के प्रावधान लागू होते है, जो तर्कसंगत है । अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह स्वीकार योग्य है।

जैसा कि अपीलार्थी का दायित्व है कि वह अपने द्वारा रखे गये तर्क का समुचित आधार प्रस्तुत करें। केवल उसके आग्रह को अधिकार नहीं माना जा सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि अपीलार्थी को अपील सुनवाई में समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् भी वह अपील सुनवाई में उपस्थित नहीं होते है। तथा सूचनाधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में जनसूचना अधिकारी से यथोचित जानकारी प्राप्त किये बगैर ही प्रथम अपील आवेदन दर्ज किया जाता है, जो उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार, अपीलार्थी का दर्ज अपील प्रार्थना तर्कसंगत नहीं है। अतः प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य का वहन किया गया है। तदापि जनसूचना अधिकारी का पक्ष एवं कृत कार्यवाही अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः अपील समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

15/9/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक– 0771– 2574700

प्रतिलिपि :– (1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर।
(2) कंपनी सचिव, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर ।
(3) श्री कृपाराम सक्सेना, जगदल्ला चांपा, जिला – जांजगीर– चांपा (छ.ग.) ।
(4) कार्यपालक निदेशक (**EITC**) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।